Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

फतेहसिंह बनाम छबील वगैरा

ख म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्य जज प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 464 वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
2022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दरतावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 21–11–2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 196 रकवा 0.31, 191/0.72, 194/0.27 हैक्ट0 वाके ग्राम हुसैपुर तहसील टपुकडा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति वनाये रखने व निर्माण कार्य नहीं करने के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जबाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	
21/11/22	पत्रावली आज मूलवाद के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। वादी का वाद वादी अधिवक्ता के नोट प्रेस में खारिज हो चुका है। अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो संलग्न मूलवाद हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलबर)	